बिहार सरकार
परिवहन विभाग

ज्ञाप संख्या–05/स्था0 (आरोप) 10/2016 परि0 पटना, दिनांक

आदेश

श्री राकेश रंजन, मोटर यान निरीक्षक, कैमूर (भभूआ) को, निगरानी टीम द्वारा चेक पोस्ट कर्मनाशा, कैमूर एवं जिला परिवहन कार्यालय, कैमूर (भभूआ) में दिनांक–16.03.2016 को की गई छापेमारी, के क्रम में थाना कांड सं0–41/2016 दिनांक–08.04.2016 में प्राथमिकी अभियुक्त बनाये जाने के कारण विभागीय आदेश सं0–3093 दिनांक–30.06.2016 द्वारा निलंबित किया गया था।

माननीय पटना उच्च न्यायालय के दिनांक–29.09.2016 के न्यायादेश के आलोक में विशेष निगरानी न्यायालय प्रथम, पटना द्वारा दिनांक–18.10.2016 को श्री रंजन को सशर्त जमानत दे दी गई है। उक्त के आलोक में श्री रंजन द्वारा दिनांक–19.10.2016 को प्रस्तुत अभ्यावेदन में स्वयं को निलंबन से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

श्री रंजन के अभ्यावेदन पर सांगोपांग बिचारोपरान्त उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(7) के तहत निलंबन से मुक्त करते हुए योगदान करने की तिथि–19.10.2016 से योगदान स्वीकृत किया जाता है।

2. श्री रंजन के पदस्थापन की कार्रवाई निलंबन से मुक्त किये जाने के उपरान्त की जायेगी।

3. दिनांक–30.06.2016 से 18.10.2016 तक की निलंबन अवधि का निर्णय श्री रंजन के विरुद्ध चलायी जाने वाली विभागीय कार्यवाही के फलाफल के उपरान्त किया जायेगा। परन्तु उक्त अवधि के लिए श्री रंजन को नियमानुसार जीवन यापन भत्ता अनुमान्य होगा।

ह0/–
राज्य परिवहन आयुक्त
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–05/स्था0 (आरोप) 10/2016 परि0 6878 पटना, दिनांक 23/11/16

E-mail

प्रतिलिपि:–जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभूआ)/ जिला परिवहन पदाधिकारी, भोजपुर (आरा)/ कैमूर (भभूआ)/ जिला कोषागार पदाधिकारी, भोजपुर (आरा)/पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना।/माननीय मंत्री परिवहन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव तथा श्री राकेश रंजन, मोटर यान निरीक्षक (निलंबित), परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/11

राज्य परिवहन आयुक्त
बिहार, पटना।